न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/574

बुद्धि प्रकाश शर्मा आत्मज श्री हरिदत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं0 10 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजेश कुमार आत्मज श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं0 10 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राधेश्याम आत्मज श्री घनश्याम जाति खाती निवासी सीएडी कोलोनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. रामनिवास आत्मज श्री घनश्याम जाति खाती निवासी सीएडी कोलोनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रमेश चन्द आत्मज श्री घनश्याम जाति खाती निवासी सीएडी कोलोनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. हेमराज आत्मज श्री मदन लाल जाति लखारा निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
6. उमेश कुमार आत्मज श्री मदन लाल जाति लखारा निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. निशा गर्ग पत्नी श्री आशीष गर्ग जाति महाजन निवासी रोटेदा रोड वार्ड नं0 04 कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. कैलाशी बाई पत्नी श्री उमाकान्त जाति मीणा निवासी शिव नगर कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक कोटा कैम्प बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 5 से 8 की ओर से ।
3. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम हीरापुर तहसील के0 पाटन में खाता संख्या नया की खसरा नम्बर 325 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 2.14 हैक्अर कुल 02 किता की रकबा 3.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि की खातेदार श्रीमती किशोरी बाई बेवा नन्द लाल जाति ब्राह्मण थी । श्रीमती किशोरी बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.11.1967 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा उक्त भूमि अपने भतीजे वादी के पक्ष में निष्पादित किया था । श्रीमती किशोरी बाई ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 328 में से पंजीकृत दानपत्र दिनांक 09.10.2003 से महेश दत्त व सुधीर कुमार को 0.23 – 0.23 कुल 0.46 हैक्टर भूमि दान कर दी उस दानपत्र के आधार पर दानग्रहिता स्वामी के रूप में उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । शेष भूमि खसरा नम्बर 328/571 रकबा 1.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 325 रकबा 0.95 हैक्टर कुल 02 किता रकबा 2.63 हैक्टर है । श्रीमती किशोरी बाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का वादी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदार हो गया है और वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 08 का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है । अप्रार्थी क्रम 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 23.07.2007 से अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली है । अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त अवैध इन्द्राज का लाभ उठाकर उक्त भूमि विभिन्न विक्रय पत्रों से अप्रार्थी क्रम 1 से 8 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दी गई तथा उनके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी क्रम 2 से 8 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया गया है । उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य हैं । प्रार्थी को अधिकार है कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी क्रम 1 से 8 वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे प्रार्थी के शांतिपूर्ण व वैध कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करे न ही भारग्रस्त करे । उक्त कार्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार श्रीमती किशोरी बाई थी जिन्होंने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.11.1967 को पंजीकृत वसीयतनामा वादग्रस्त आराजी बाबत् अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया था । किशोरी बाई का निधन सन् 2007 में हो गया और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि का वसीयती

खातेदार हो गया और बतौर खातेदार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है । उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट राजेश का कोई अधिकार नहीं है । किशोरी बाई के देहान्त के बाद राजेश कुमार ने अपने आपको किशोरी बाई का गोदपुत्र बताते हुए अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया । लेकिन इससे अपीलान्ट के हितों पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि अपीलान्ट किशोरी बाई का वसीयती उत्तराधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त हुई परन्तु उसके बाद अपीलान्ट रक्तचाप व मधुमेह की बीमारी अत्यधिक बढ जाने के कारण पीडित रहने से दिनांक 09.08.2017 से लगातार 28.10.2017 तक बेड रेस्ट पर रहा । इस कारण से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि खाता संख्या नया 127 की खसरा नम्बर 325 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 328 रकबा 2.14 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.09 हैक्टर वाके ग्राम हीरापुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि की खातेदार श्रीमती किशोरी बाई बेवा नन्द लाल थी जिसकी मृत्यु दिनांक 05.03.2007 को हो चुकी है । श्रीमती किशोरी बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 11.11.1967 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा उक्त भूमि बाबत् अपने भतीजे प्रार्थी अपीलान्ट बुद्धि प्रकाश के पक्ष में निष्पादित किया था । किशोरी बाई ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि खसरा नम्बर 328 में से पंजीकृत दान पत्र दिनांक 09.10.2003 से महेश दत्त व सुधीर कुमार को 0.23–0.23 कुल 0.46 हैक्टर भूमि दान कर दी और उस दानपत्र के आधार पर दानग्रहिता स्वामी के रूप में काबिज चले आ रहे हैं । शेष आराजी किशोरी बाई के खाते में रही किशोरी बाई की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अपीलान्ट खातेदार हो गया है और इस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 8 का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने गलत रूप से इस आराजी का नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 23.07.2007 से अपने नाम खुलवा लिया और विभिन्न विक्रय पत्रों से आराजी का बेचान रेस्पोडेन्टगण को कर दिया जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है । ये विक्रय पत्र प्रार्थी के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य हैं । इन विक्रय पत्रों से रेस्पोडेन्टगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । जमाबन्दी में अवैध अंकन का लाभ उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी अपीलान्ट करे बेदखल करना चाहते हैं । अतः रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी अपीलान्ट को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें, अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वसीयत के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट राजेश को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । रेस्पोडेन्ट राजेश ने अपने–आपको श्रीमती किशोरी बाई का गोदपुत्र बताते हुए नामान्तरकरण खुलवा लिया जबकि वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में है । यदि वह गोदपुत्र है तो भी वसीयत के आधार पर अधिकार अपीलान्ट का ही बनता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलआर 1988 पेज 01 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा है और इस गोदनामे में बुद्धि प्रकाश के हस्ताक्षर हैं । गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी हुई थी जिसका उल्लेख किया गया है । इस गोदनामे के आधार पर राजेश कुमार के पक्ष में जो नामान्तरकरण खोला गया है वह विधि सम्मत है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से आराजी का बेचान शेष रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में किया गया है और कब्जा संभला गया है । बुद्धि प्रकाश ने रजिस्टर्ड गोदनामे पर स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर किये हैं । बुद्धि प्रकाश इसके विपरीत कोई भी कथन करने से एस्टोप्ड है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 26 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 5, 6, 7 व 8 के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट क्रम 5, 6, 7 व 8 के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में निवेदन किया कि गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है जिसमें राजेश कुमार के पिता बुद्धिप्रकाश ने स्वीकृति दी है । नामान्तरकरण सन् 2007 में राजेश कुमार के नाम तस्दीक किया गया था और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्टगण ने क्रय किया है । अपीलान्ट ने नकल दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त कर ली थी फिर भी उसने 03 माह के बाद दिनांक 07.11.2017 को अपील पेश की है जो मियाद बाहर है । बीमारी के बारे में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । पिता पुत्र ने षडयंत्र करके बदयान्तिपूर्वक झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजेश कुमार दत्तक पुत्र नन्द लाल के खाते में दर्ज है और नामान्तकरण संख्या 319, 357, 397, 401, 404 का नोट अंकित है । नामान्तरकरण संख्या 130 की फोटो प्रति भी संलग्न की है जो सन् 2007 में खोला गया है । वादग्रस्त आराजी श्रीमती किशोरी बाई बेवा नन्दलाल के खातेदारी की थी । गोदनामा की फोटो प्रति संलग्न है जो उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध है । इस गोदनामे में श्रीमती किशोरी बाई द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 राजेश कुमार को गोद लिया जाना अंकित है और इसमें उनके प्राकृतिक पिता बुद्धि प्रकाश के भी हस्ताक्षर हैं । कुछ विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली में संलग्न हैं जो उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध हैं ।

14. वादग्रस्त आराजी सन् 2007 में पंजीकृत गोदनामे से आधार पर राजेश कुमार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम खाते में दर्ज हुई है और उसके उपरान्त विभिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से आराजी शेष रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज हुई है । अपीलान्ट के द्वारा जो कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के प्राकृतिक पिता हैं ने सन् 2016 में लगभग 12 वर्ष बाद यह दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि सन् 2007 में गोदनामे पर उनके हस्ताक्षर हैं अर्थात् उनको यह जानकारी में था कि श्रीमती किशोरी बाई ने उनके प्राकृतिक पुत्र को गोद लिया है । प्रार्थी अपीलान्ट वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अधिकार घोषणा की प्रार्थना करते हैं । इस वसीयत का पक्षकारों के अधिकारों एवं स्वत्व पर क्या प्रभाव पडेगा यह मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होगा इस स्टजे पर नहीं । वादग्रस्त आराजी सन् 2007 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 और उसके पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर शेष रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज हो चुकी है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं ।

15. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौराने ही तय होंगे। इस स्टेज पर नहीं । वादग्रस्त आराजी सन् 2007 में पंजीकृत गोदनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व उसके पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्रों के आधार पर शेष रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज हुई है । गोदनामे पर अपीलान्ट के स्वीकारोक्ति के हस्ताक्षर हैं । रेस्पोडेन्टगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं व काबिज काश्त हैं । इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा